

पत्रांक-श्रम क० सं०-11/2015

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)से दुर्घटना में मृत 04 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 400000/- (चार लाख रूपए) एवं 03 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रित को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 90000/- (नब्बे हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 490000/- (चार लाख नब्बे हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम(संबंध)	जिला पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्ताता का व्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० कपिलदेव महतो, श्री रामकिसुन महतो, सामान्य	श्रीमती मीना देवी(पत्नी)	1362-1/27. 12.17	ग्रा०-शिवाजी नगर, पो०-विष्णुपुर, था०-नगर, प्र०-बेगूसराय सदर, बेगूसराय	47410001 00047017	Punjab national bank, डाक बंगला रोड, बेगूसराय, PUNB0474100	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, साइकिल रिपैरिंग व्यवसाय में कामगार मजदूर
2	स्व० सुमित कुमार झा, सामान्य	श्री नील कुमार झा(पिता)	1362-2/27. 12.17	ग्रा०+पो०-रानी-3, था०+प्र०-बछवाड़ा बेगूसराय	15940110 059975	UCO BANK, रानी बेगूसराय, UCBA0001594	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, पशु दुकान में मजदूरी व्यवसाय में कामगार मजदूर
3	स्व० महिन्द्र साह, श्री जागो साह, सामान्य	श्रीमती सावित्री देवी(पत्नी)	1362-3/27. 12.17	ग्रा०+पो०-सिधौल, था०-मुफसिल, प्र०- बेगूसराय सदर, बेगूसराय	38150110 059787	बिहार ग्रामीण बैंक, मीरगंज, UCBAORRBBKG	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, विभिन्न व्यवसाय में कामगार मजदूर
4	स्व० मो० कौशर, मो० अदालत, सामान्य	श्रीमती जन्तुन खातुन(पत्नी)	1362-4/27. 12.17	ग्रा०-बाघा, था०-नगर, लोहियानगर, प्र०-बेगूसराय सदर, बेगूसराय	38420110 010265	Bihar Gramin Bank, सुहृदनगर UCBAORRBBKG	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, फल-सब्जी व्यवसाय में कामगार मजदूर
5	स्व० अफताब आलम, मो० मंजूर आलम, सामान्य	श्रीमती मसूदा खातुन(माता)	1362-5/27. 12.17	ग्रा०+पो०-सिधौल, था०-मुफसिल, प्र०+जि०-बेगूसराय	34133111 844	State bank of India, पटना, SBIN0006429	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कच्ची व्यवसाय में कामगार मजदूर
6	स्व० कंचन देवी, सामान्य	श्री प्रमोद महतो(पति)	1362-6/27. 12.17	ग्रा०+पो०-सिधौल, था०-मुफसिल, प्र०+जि०-बेगूसराय	50370744 739	Allahabad Bank, बागवाड़ा बेगूसराय, ALLA0212621	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, भवन निर्माण में मजदूरी व्यवसाय में कामगार मजदूर
7	स्व० अरूण राय, श्री सूर्यनारायण राय, सामान्य	श्रीमती पूनम देवी(पत्नी)	1362-7/27. 12.17	ग्रा०+पो०-गंधीनगर, था०-बेगूसराय प्र०-बेगूसराय सदर, बेगूसराय	12200100 023646	Bank of Baroda, हीरालाल चौक, बेगूसराय, BARBOBEGUSA	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, मजदूरी व्यवसाय में कामगार मजदूर

कुल :- ₹ 490000/-

(चार लाख नब्बे हजार रूपए)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव में सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-11/2015 के पृष्ठ- 56/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-11/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-11/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए।

ह०

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-11/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 490000/- (चार लाख नब्बे हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे।

ह०

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-11/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- श्रम अधीक्षक, बेगूसराय को उनके पत्रांक 184 दिनांक 05.03.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-11/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, बेगूसराय को उनके पत्रांक 1362-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिनांक 27.12.17 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-11/2015-130

पटना, दिनांक :- 23-03-18

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1/16/03/18

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी



(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

23/03/18

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

1/